

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इत्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी- अनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजू

बनाम

मोहम्मद जाकिर आदि

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 166/2015

निर्णय दिनांक- 11.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 388 रकबा 1.91 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 738 रकबा 0.04 हैक्टेयर व नये खसरा सं. 739 रकबा 1.87 हैक्टेयर वाके ग्राम चूड़ी मियां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है-

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. राजू पुत्र कजोड़ जाति जांगिड़ सा. देह राहिन आर.जी.बी. शाखा चूड़ी मियां	739 मीन	0.955 हैक्टेयर	बा.1	6.69
2. विद्याधर पुत्र श्रवण पूजा पुत्री श्रवण जाति जाति जांगिड़ सा. देह	739 मीन	0.305 हैक्टेयर	बा.1	2.13
3. रामप्रसाद पुत्र ताराचंद जाति जाट सा. आन्तरोली	739 मीन	0.31 हैक्टेयर	बा.1	2.17
4. मोहम्मद जाकीर पुत्र अब्दूल गफार जाति व्यपारी सा.देह	739 मीन 738	0.30 हैक्टेयर 0.04 हैक्टेयर	बा.1 बा.1	2.10 0.28

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावे। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.2018 को कैम्प चूड़ी मियां में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प- चूड़ी मियां

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प- चूड़ी मियां

11.05.2018	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार- 2018 के तहत आयोजित कैम्प चूड़ी मियां में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/न्याय/18/99 दिनांक 11.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 388 रकबा 1.91 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 738 रकबा 0.04 हैक्टेयर व नये खसरा सं. 739 रकबा 1.87 हैक्टेयर वाके ग्राम चूड़ी मियां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं-</p> <table border="1" data-bbox="381 725 1356 1088"> <thead> <tr> <th>खातेदार का नाम</th> <th>खसरा सं.</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. राजू पुत्र कजोड़ जाति जांगिड़ सा. देह राहिन आर.जी.बी. शाखा चूड़ी मियां</td> <td>739 मीन</td> <td>0.955 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>2. विद्याधर पुत्र श्रवण पूजा पुत्री श्रवण जाति जाति जांगिड़ सा. देह</td> <td>739 मीन</td> <td>0.305 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>3. रामप्रसाद पुत्र ताराचंद जाति जाट सा. आन्तरोली</td> <td>739 मीन</td> <td>0.31 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>4. मोहम्मद जाकीर पुत्र अब्दूल गफार जाति व्यपारी सा.देह</td> <td>739 मीन 738</td> <td>0.30 हैक्टेयर 0.04 हैक्टेयर</td> </tr> </tbody> </table> <p>तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावे। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दपतर अभिलेखागार हो।</p>	खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	1. राजू पुत्र कजोड़ जाति जांगिड़ सा. देह राहिन आर.जी.बी. शाखा चूड़ी मियां	739 मीन	0.955 हैक्टेयर	2. विद्याधर पुत्र श्रवण पूजा पुत्री श्रवण जाति जाति जांगिड़ सा. देह	739 मीन	0.305 हैक्टेयर	3. रामप्रसाद पुत्र ताराचंद जाति जाट सा. आन्तरोली	739 मीन	0.31 हैक्टेयर	4. मोहम्मद जाकीर पुत्र अब्दूल गफार जाति व्यपारी सा.देह	739 मीन 738	0.30 हैक्टेयर 0.04 हैक्टेयर	
खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा															
1. राजू पुत्र कजोड़ जाति जांगिड़ सा. देह राहिन आर.जी.बी. शाखा चूड़ी मियां	739 मीन	0.955 हैक्टेयर															
2. विद्याधर पुत्र श्रवण पूजा पुत्री श्रवण जाति जाति जांगिड़ सा. देह	739 मीन	0.305 हैक्टेयर															
3. रामप्रसाद पुत्र ताराचंद जाति जाट सा. आन्तरोली	739 मीन	0.31 हैक्टेयर															
4. मोहम्मद जाकीर पुत्र अब्दूल गफार जाति व्यपारी सा.देह	739 मीन 738	0.30 हैक्टेयर 0.04 हैक्टेयर															

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Web Copy - Not Official